राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं. – **116/2013** रे0वा0 निर्णय दिनांक – 03.07.2015

अनवान

1. श्रीमति नेनी पुत्री भोजसिह पत्नि मोहनसिंह जाति रावत निवासी भोजपुरा निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर हाल नेडी तहसील भीम।
2. श्रीमति पतासी पुत्री भोजसिंह पत्नि मंगलसिंह जाति राव निवासी सिंघाडिया तहसील ब्यावर हाल नेडी तहसील भीम।
3. श्री अणसी पुत्री भोजसिंह पत्नि चिमनसिहं जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर हाल नेडी भीम
4. सुश्री भोजसिंह पत्नि भवरसिंह जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर हाल नेडी तहसील भीम
5. श्रीमति चुन्नी पुत्री भोजासिंह पत्नि जोरसिंह जाति रावत निवासी मानपुरा तहसील मसूदा हाल निवासी नेडी तहसील भीम।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम
2. श्रीमान भू–प्रबंधक अधिकारी भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटीए

यह कि वादीगण के पिता भोजासिंह के स्वामित्व आधिपत्य में अन्य आराजियात के अलावा मौजा नेडी पटवार क्षेत्र भीम मे गत आराजी नम्बर 13776 रकबा 15 विस्वा आई हुई है। उक्त आराजियात वादीगण वादीगण के पिता भोजासिंह के खाते मे कब्जे में चली आ रही थी। वे निरन्तर उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे थे। उक्त वर्णित आराजी के हाल आराजी नम्बर 15528 रकबा 15 विस्वा है जिसके पुराने नम्बर 13776 है।

उक्त वर्णित आराजियात को सेटलमेन्ट अधिकारियो ने उक्त खातेदारी भूमि को दौरान सेटलमेन्ट कार्यवाही बिलानाम दर्ज कर दी है। जबकि बिलानाम दर्ज करने का किसी भी न्यायालय द्वारा कोई आदेश कभी भी जारी नही किया गया था। परन्तु फिर भी उन्होने गलत तरीके से उक्त भूमि को बिलानाम भूमि ये सम्मिलित कर दी गई है जो पूर्णतया कार्य सेटलमेन्ट अधिकारियो का कानून विरूद्ध होकर निरस्ती योग्य है। इस प्रकार कार्य सेटलमेन्ट अधिकारी नही कर सकते है व नही इस प्रकार उन्हे करने का ही किसी भी प्रकार से कोई अधिकार ही था मात्र सेटलमेन्ट अधिकारियों को पुरानी इन्द्राज को यथावत रखना चाहिये था परन्तु फिर भी करवाया जा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम मे पेश हुआ**। वादी का वाद तहसीलदार भीम के जवाब अनुसार राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित भूमि किसी व्यक्ति विशेष के नाम खातेदारी दर्ज नही होकर बिलानाम सिवायचक काबिल काश्त होने से दर्ज होने से वादी का वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द